बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांकः-सं०सं० स्था०2/04-01/2016 1618 /पटना, दिनांक 16.08.16

प्रेषक,

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) (पटना एवं सारण प्रमंडल को छोड़कर)
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी (बक्सर, भोजपुर एवं प० चम्पारण को छोड़कर)

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जुलाई 2016 तक का मासिक व्यय विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः- निदेशालय के पत्रांक-900 दिनांक 09.05.2016 पत्रांक-990 दिनांक 27.05.2016 एवं पत्रांक-1358 दिनांक 15.07.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बार-बार स्मारित करने के बावजूद अभी तक आपके द्वारा जुलाई 2016 तक का मासिक व्यय विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया है। विदित हो कि दिनांक 22 एवं 23 जून 2016 को आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में भी इसकी महत्ता को दर्शाते हुए ससमय मासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। इसके बावजूद मात्र तीन आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा जुलाई 2016 का मासिक व्यय विवरणी उपलब्ध कराने से स्पष्ट है कि इस कार्य को करने में आपकी कोई अभीरुचि नहीं रह गई है जो चिन्ता ही नहीं खेद का भी विषय है। शेष आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह जुलाई 2016 तक का उपलब्ध नहीं कराना उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं लापरवाही का द्योतक है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यदि किसी शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित होने के बावजूद व्यय शून्य हो तो उस माह का शून्य व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराना आवश्यक है परन्तु जिस शीर्ष में आवंटन आदेश निर्गत नहीं हुआ है, उस शीर्ष का व्यय प्रतिवेदन भेजना आवश्यक नहीं है।

अतएव अनुरोध है कि पारपृष्ठ पर अंकित विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह अप्रैल 2016 से जुलाई 2016 तक का मासिक व्यय विवरणी (सभी शीर्षों का) यथाशीघ्र उपलब्ध कराते हुए अगले माह से नियमित रूप से सभी शीर्षों का व्यय विवरणी ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/- 16/08

निदेशक

ज्ञापांकः- 1618 /पटना, दिनांक 16-08-16

प्रतिलिपिः- श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी, निदेशालय, बिहार, पटना सूचनार्थ। निदेश है कि इस पत्र को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

ह०/- 16/08

निदेशक

30,विनोद, 11.08.16